<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, आंवला, जिला बरेली।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 737/2022

(CNR No. UPBR120030242022)

सरकार बनाम परशुराम आदि

धारा- 323, 504, 506, 354(क) भा.दं.सं.

मु.अ.सं. - 367/2022

थाना- सिरौली, जिला बरेली।

<u>दिनांक- 10.10.2022</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण परशुराम व लक्ष्मण पुत्रगण नेत्रराम की ओर से मु.अ.सं. 367/2022 थाना सिरौली, जिला बरेली, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. के प्रकरण में जमानत हेतु दिया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्तगण द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण कर कथन किया गया है कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण उपरोक्त पर धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. का अपराध कारित करने का अभियोग है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। थाना सिरौली से आख्या आहूत की गयी। थाना सिरौली से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्तगण परशुराम व लक्ष्मण पुत्रगण नेत्रराम मु.अ.सं. 367/2022, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. में नामजद अभियुक्त है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण उचित जमानत देने को तैयार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्तगण परशुराम व लक्ष्मण पुत्रगण नेत्रराम को मुव० बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रथक प्रतिभू दाखिल करने पर मामले के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किए बिना जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अंकित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
आंवला, बरेली।